संचिका सं०–6 एस०एस०(6)13 / 2025– 1455 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 26 / 03 / 2025.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– ****आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 08 (आठ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 64 नये पदों का कुल ₹ 3,95,20,928/- (रुपये तीन करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार नौ सौ अठाईस) मात्र के अनुमानित वार्षिक लागत पर सृजन स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 08 (आठ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 64 नये पदों का कुल ₹ 3,95,20,928/- (रुपये तीन करोड़ पंचानवे लाख बीस हजार नौ सौ अठाईस) मात्र के अनुमानित वार्षिक लागत पर सृजन स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2) राज्य में गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गव्य प्रक्षेत्र में कई महत्त्वपूर्ण योजनाऐं जैसे समग्र गव्य विकास योजना, देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना, किसान प्रशिक्षण योजना, पशु बीमा योजना आदि क्रियान्वित की जा रही है। ये योजनाऐं राज्य के सभी 38 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। योजना का सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य के सभी जिलों में जिला गव्य विकास कार्यालय के स्थापना की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

3) राज्य के 17 जिलों में जिला गव्य विकास कार्यालय स्वीकृत / स्थापित नहीं है। उक्त के क्रम में प्रथम फेज में राज्य के 08 जिले यथा–प० चम्पारण (बेतिया), खगड़िया, समस्तीपुर, गया, कैमूर (भभुआ), भोजपुर (आरा), बेगूसराय एवं दरभंगा में जिला गव्य विकास कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

4) वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2024–25 तक राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों के लिए समग्र गव्य विकास योजना, देशी गौपालन प्रोत्साहन योजना, किसान प्रशिक्षण योजना, पशु बीमा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना से दुग्ध

उत्पादकों में डेयरी व्यवसाय के प्रति काफी रूझान आया एवं राज्य के विभिन्न बैंकों से ऋण स्वीकृत कर एवं स्वलागत से किसानों को स्वावलंबी बनाने में सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ है।

5) इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य के शेष 17 जिलों में से 08 जिला यथा–प० चम्पारण (बेतिया), खगड़िया, समस्तीपुर, गया, कैमूर (भभुआ), भोजपुर (आरा), बेगूसराय एवं दरभंगा में नये जिला गव्य विकास कार्यालय स्थापित किया जायेगा। प्रस्तावित 08 जिलों में निम्नलिखित कुल 64 नये पदों के सृजन किया जाता है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी / कर्मचारी पद नाम	वेतनमान एवं ग्रेड पे	वेतन स्तर	प्रस्तावित पदों की संख्या
1.	जिला गव्य विकास पदाधिकारी	₹ 47600-151100 ग्रेड पे –₹4800	08	08
2.	डेयरी फिल्ड ऑफिसर	₹ 35400-112400 ग्रेड पे –₹4200	06	24
3.	उच्च वर्गीय लिपिक	₹ 25500-81100 ग्रेड पे –₹2400	04	08
4.	निम्न वर्गीय लिपिक	₹ 19900-63200 ग्रेड पे –₹1900	02	08
5.	कार्यालय परिचारी	₹ 18000-56900 ग्रेड पे –₹1800	01	16
	कुल			**64**

6) इन कार्यालयों की स्थापना एवं पदो के सृजन होने से जिला स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू एवं सुगम रूप से हो सकेगा। फलस्वरूप राज्य के सभी जिलों को गव्य विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं से अच्छादित किया जा सकेगा। इससे न केवल सभी जिलों का समग्र विकास होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा स्वरोजगार का सृजन होगा।

7) जिला गव्य विकास पदाधिकारी का पद सम्वर्गीय एवं कैडर का पद है, इसलिए वरीयता क्रमानुसार कार्यरत कर्मी द्वारा नियुक्ति नियमावली में निहित प्रावधानों को अपनाते हुए भरा जायेगा।

8) इन पदों के सृजन पर होने वाले व्यय भार का वहन बजट शीर्ष 2404 डेयरी विकास–102 डेयरी विकास परियोजनाएँ, 0010–क्षेत्रीय स्थापना–मांग संख्या–02, विपत्र कोड 02 2404001020010 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

9) दिनांक–21.02.2025 को संपन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में गव्य विकास निदेशालय अन्तर्गत गैर योजना मद से कुल 08 (आठ) जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना एवं विभिन्न कोटि के कुल 64 नये पदों के सृजन

की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)13/2025 के पृष्ठ 08–07/प०.

10) दिनांक–19.03.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तावित स्कीम को मद संख्या–08 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)13/2025 के पृष्ठ–24/टि०.

11) राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या– 6 एस०एस०(6)13/2025 के पृष्ठ–25/टि० एवं डायरी संख्या–शून्य, दिनांक–22.03.2025.

12) वित्त विभागीय पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

26/3/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)13/2025–1455/पटना–15, दिनांक–26/03/2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)13/2025–1455/पटना–15, दिनांक–26/03/2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)13/2025–1455/पटना–15, दिनांक–26/03/2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)13/2025–1455/पटना–15, दिनांक–26/03/2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)13/2025– 1455 /पटना–15, दिनांक– 26/03/2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/ योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)13/2025– 1455 /पटना–15, दिनांक– 26/03/2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)13/2025– 1455 /पटना–15, दिनांक– 26/03/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना में दिनांक–19.03.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–08 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)13/2025– 1455 /पटना–15, दिनांक– 26/03/2025.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–2025 में राज्य के 8 जिलों में नये जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना की योजना पर सम्भावित व्यय की गणना विवरणी

क्र0	पदनाम एवं पुनरीक्षित वेतनमान	पदो की सख्या	पे लेवल	पुनरीक्षित					8 कार्यालयों के लिए वास्तविक स्वीकृत पदों के अनुसार एक माह का अनुमानित कुल वेतन	08 (आठ) कार्यालयों के लिए वास्तविक स्वीकृत पदों के अनुसार एक वर्ष के लिये अनुमानित कुल वेतन/अन्य व्यय
				मूल वेतन	जीवन यापन भत्ता (53%)	मकान किराया भत्ता (10%)	चिकित्सा भत्ता	शहरी परिवहन भत्ता (नगर निगम से संबंधित केवल 6 कार्यालयों के लिए)		
1	जिला गव्य विकास पदाधिकारी रू0 47600-151100 (पे लेवल–8) प्रत्येक कार्यालय में एक पद	8	08	47600 x 8 = 380800	25228x 8= 201824	8 X 4760 =38080	1000x 8= 8000	6X 1530 =9180	637884	637884X 12 = 7654608
2	डेरी फिल्ड ऑफिसर रू0 35400-112400 (पे लेवल–6) प्रत्येक कार्यालय में तीन पद	24	06	35400 x 24 = 849600	18762 x 24= 450288	24X 3540 =84960	24x 1000= 24000	18X 918 =16524	1425372	1425372 X 12 = 17104464
3	उच्च वर्गीय लिपिक रू0 25500-81100 (पे लेवल– 4) प्रत्येक कार्यालय में एक पद	8	04	25500 x 8 = 204000	13515 x 8 = 108120	8 X 2550 =20400	1000x 8= 8000	6X 918 = 5508	346028	346028 X 12 = 4152336
4	निम्न वर्गीय लिपिक रू0 19900–63200 (पे लेवल–2) प्रत्येक कार्यालय में एक पद	8	02	19900 x 8 = 159200	10547 x 8= 84376	8X1990 =15920	1000x 8= 8000	6X 918 = 5508	273004	273004X 12 = 3276048
5	कार्यालय परिचारी रू0 18000–56900 (पे लेवल–1) प्रत्येक कार्यालय में दो पद	16	01	18000 x 16 = 288000	9540 x 16= 152640	16X1800 =28800	1000x 16= 16000	12 X918 = 11016	496456	496456 X 12 = 5957472
	कुल	**64**		**1881600**	**997248**	**188160**	**64000**	**47736**	**3178744**	**38144928**
	यात्रा व्यय	रू0 50000/- प्रत्येक कार्यालय x8=400000								**400000**
	कार्यालय व्यय	रू0 50000/- प्रत्येक कार्यालय x 8=400000								**400000**
	किराया महसूल एवं कर	@6000/-p.m रू0 72000/- प्रत्येक कार्यालय x8=432000								**576000**
	कुल अनुमानित व्यय									**रू0 3,95,20,928/-**

(रुपये तीन करोड़ पन्चानब्बे लाख बीस हजार नौ सौ अठाईस) मात्र।

26/3/25

सरकार के अपर सचिव